# कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री दीपक कुमार,कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।

प्रार्थी :- सर्वश्री रुपट्रोनिक इन्डिया , 21 दि माल रोड,आगरा।

प्रा0प0सं0:- 297/2008

प्रार्थी की ओर से श्री जे0एस0उत्पल,अधिवक्ता

## उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12-06-2008 को प्रस्तुत किया गया। जिसमे **Automatic Voltage Stabilzer** पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- एडीशनल कमिश्नर ,आगरा से प्राप्त आख्या मे उल्लेख किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने स्टेब्लाइजर को इलैक्टोनिक वस्तु की भॉति माना है अत: इस पर इलैक्टोनिक वस्तु की भॉति करदेयता होनी चाहिए।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री जे0एस0उत्पल,अधिवक्ता उपस्थित हुए व बताया कि यू0पी0वैट अधिनियम एक्ट की धारा -81(2)(a )मे व्यापार कर के अन्तर्गत जारी नोटिफिकेशन रुल्स यदि वह वैट एक्ट के विरोधाभाषी नही है तो वह लागू रहेगी , का प्राविधान किया गया है।नोटिफकेशन सं0 1223 दिनांक 31-3-92 व 3403दिनांक 1-10-94 के अनुसार यदि कोई इलैक्टोनिक गुड्स के निर्माता जिसका प्लान्ट, मशीनरी,इक्यूपमेन्ट व एप्रेटस में पूॅजी निवेश पॉच लाख से कम हो व वह डेवलपमेन्ट कमिश्नर स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज ,गर्वरमेन्ट आफ इन्डिया के द्वारा नोटीफाइड इलेक्ट्रोनिक गुडस की निमार्ण व बिक्री करता हो तो इलेक्ट्रोनिक गुडस पर 3 प्रतिशत की दर से व्यापार कर की देयता निर्धारित की गई है अत: **Automatic Voltage Stabilzer** जो कि Soild State Voltage Stabilzer है डेवलपमेन्ट कमिश्नर स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के द्वारा नोटीफाइड है पर 3 प्रतिशत की दर से करदेयता वेट एक्ट के अन्तर्गत होनी चाहिए।

4- मैने धारा 59 के प्रार्थना पर अंकित तथ्यों ,प्राप्त विभागीय आख्या व विद्वान अधिवक्ता के तर्को का परिशीलन किया। वैट अधिनियम मे 3 प्रतिशत की दर से करदेयता का कोई भी प्राविधान नही है।ओटोमोटिक वोल्टेज स्टेब्लाइजर शेड्यूल 1,2,3व 4 मे वर्गीकृत नही है अत: शेड्यूल-5 के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र मे उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

ह0 2-9-2008

दिनांक::सितम्बर 2 2008

**( दीपक कुमार )**
**कमिश्नर, वाणिज्य कर,**
**उत्तर प्रदेश,लखनऊ।**